IS 15700 : 2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता–वाराणसी वृत्त

आफिस कम शापिंग काम्पलेक्स, द्वितीय तल
जवाहर नगर भेलूपुर, वाराणसी–221010
E-Mail: circle1@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरोIS

SQMS

पत्रांक– 2231 / M-11 / 317 दिनांक:– 30-12-25

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में परिषद कार्यों हेतु अधिकृत सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत/अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से स्पर्धात्मक ई–निविदाये टू–बिड पद्धिति पर राज्य सूचना केन्द्र (N.I.C) की वेबसाइट http://etender.up.nic.in के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। ई–निविदाओं की तकनीकी बिड निम्न तालिका के अनुरुप सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में फर्मो/ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। परीक्षणोपरान्त तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं का वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि व समय पृथक से सूचित किया जायेगा।

क्रम सं0	कार्य का नाम		कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	खण्ड कार्यालय का नाम जहां निविदा खोली जानी है
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	अवस्थापना निधि के अन्तर्गत जनपद–वाराणसी नगर क्षेत्र में स्थित वार्ड आदिविशेश्वर में निम्नलिखित कार्य कराये जाने है :–		बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	282.46	5.65	4,500.00 + 18% G.S.T,	09 माह	अधिशासी अभियता, निर्माण खण्ड–वाराणसी–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी।
	Part -A	मकान नं0–डी–38/81 प्रदीप कुमार हाउस कटोरा पत्थर गली से बांस फाटक मार्ग तक व जग्गू श्रीमती सुन्दरी सदन सी0के0–37/72 घुघरानी गली बांस फाटक से हाउस कटोरा पत्थर गली तक स्टोन चौका लगाने का कार्य।						
	Part -B	पियरी चेतगंज मार्ग, रविकांत मिश्रा म0नं0–66/71 से शुभम सिंह म0नपं0–66/73 तक स्टोन चौका लगाने का कार्य।						
	Part -C	पियरी चेतगंज मार्ग राजेन्द्र गौण के मकान से सुन्दरी देवी म0नं0–66/55 तक स्टोन चौका लगाने का कार्य।						
	Part -D	बेनिया–पियरी मार्ग स्थित राधा यादव म0नं0–66/42 जी से मुन्ना जायसवाल म0नं0–66/33 तक एवं शम्भू तिवारी के मकान से शाकम्बरी प्रसाद के मकान से होते हुए कूड़ा घर तक एवं रहीम शाह मजार के पास स्टोन चौका लगाने का कार्य।						
	Part -E	बेनिया मार्ग स्थित रोशन के मकान से रवि के मकान तक स्टोन चौका लगाने का कार्य।						
	Part -F	भुलेटन मार्ग स्थित सुनिल म0नं0–63/78 से आनन्द सेठ के मकान तक एवं श्री चाँद कसेरा, केदारनाथ, सरेंदर साहू तथा विनोद के मकान से होते हुए परवेज खाँ के मकान तक स्टोन चौका लगाने का कार्य।						
	Part -G	चौक मैदागिन मार्ग स्थित गोपाल टी–स्टाल से भरत गुप्ता, रविशंकर वर्मा के मकान से होते हुए सरोज देवी म0नं0–एल0के0–61/24 तक, ईश्वर ओर्नामेन्ट, रस्तोगी जनरल स्टोन होते हुए जयराम दास म0नं0–सी0के0–54/20 बी0 तक एवं गणेश कटरा से राजा दरवाजा त्रिमुहानी तक स्टोन चौका लगाने का कार्य।						

	Part -H	हडाहा में मकान नं0–48/194 से हट्केश्वर महादेव मन्दिर होते हुए गुंजन बरनवाल म0नं0–52/61 तक एवं शान्ति देवी म0नं0–सी0के0–48/33 से प्रिंस सेठ म0नं0–सी0के0–48/69 तक स्टोन चौका लगाने का कार्य।						
2.		अवस्थापना निधि के अन्तर्गत जनपद–वाराणसी नगर क्षेत्र के वार्ड गोला दीनानाथ में कराये जाने वाले कार्य :–	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	127.20	2.54	4,500.00 + 18% G.S.T,	09 माह	अधिशासी अभियता, निर्माण खण्ड–वाराणसी–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी।
	Part -A	हनुमान मन्दिर से गौतम केशरी म0सं0–66/75 से होते हुए कल्याणी इण्टर प्राईजेज तक स्टोन चौका लगाने का कार्य।						
	Part -B	राजेश कुमार के मकान से महादेव प्रसाद जी के मकान से होते हुए राम जी म0सं0–63/51 से होते हुए सूरज बली पाठक म0सं0–के0–64/96 तथा बघेल राम म0सं0–63/22 होते हुए शंकर प्रसाद म0सं0–के0–63/104 तक स्टोन चौका लगाने का कार्य।						
	Part -C	जय भीम साहू म0सं0–63/142 से लोहटिया मार्ग तक स्टोन चौका लगाने का कार्य।						
	Part -D	शारदा देवी म0सं0–के0–63/ 182–3 से श्री राम निहोर म0सं0 के0–63/181 पी–29 से होते हुए बाबू खान म0सं0–के0–63/181 तक स्टोन चौका लगाने का कार्य।						
	Part -E	कर्णघंटा जगन्नाथ कुटी से आर0पी0 परफ्यूम वर्क तथा विद्यांचल गली म0सं0–सी0के0– 51/26 से प्रीत अहमद म0सं0– सी0के0–61/34 से होते हुए छोटेलाल म0सं0–सी0के0– 61/11 तक स्टोन चौका लगाने/मरम्मत का कार्य।						
3.	अवस्थापना निधि के अन्तर्गत जनपद–वाराणसी नगर क्षेत्र के वार्ड कालभैरव में कालभैरव मन्दिर चौराहा से श्री रमेश केसरी मकान संख्या–के–7/5 से होते हुए राजघाट विशेश्वरगंज मार्ग स्थित शंकर गुप्ता मकान संख्या–5/66 तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।		बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	106.74	2.14	4,500.00 + 18% G.S.T,	09 माह	अधिशासी अभियता, निर्माण खण्ड–वाराणसी–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी।

निविदा से सम्बन्धित विवरण	क्रम संख्या–1 के कार्य हेतु तिथि व समय	क्रम संख्या–2 एवं 3 के कार्यो हेतु तिथि व समय
Document Download start date	02.01.2026 (17:00)	02.01.2026 (17:00)
Document Download End date	29.01.2026 (12:00)	20.01.2026 (12:00)
Bid submission start date	02.01.2026 (17:00)	02.01.2026 (17:00)
Bid submission/closing date	29.01.2026 (12:00)	20.01.2026 (12:00)
Technical Bid opening date	29.01.2026 (15:00)	20.01.2026 (15:00)
Financial Bid opening date	To be declared after opening of Technical Bid	To be declared after opening of Technical Bid

ई–निविदा हेतु शर्ते –

1. निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग–अलग आर.टी.जी.एस के माध्यम से जमा किया जायेगा। आर.टी.जी.एस. निम्नलिखित विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व 17:00 बजे तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। कार्यालय का पता व खाते का विवरण निम्नवत है।
2. निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य एवं धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अलग–अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत है :–

कार्यो के लिए सम्बन्धित कार्यालय–

खण्ड कार्यालय का पता	:	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर वाराणसी।
खाते का विवरण	:	INDIAN OVERSEASE BANK, VARANASI
खाता सं0	:	037001000032475
आई.एफ.एस. कोड	:	IOBA0000370

3. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि एवं स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
4. निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 का यू0टी0आर0 के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
5. निविदादाता फर्म का आयकर एवं श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है, जो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदा प्रपत्र परिषद की वेवसाईट **www.upavp.in** के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबासाईट देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ही आनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
7. शासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा मिट्टी, सैण्ड, स्टोन ग्रिट/बैलास्ट इत्यादि पर रायल्टी भुगतान की रसीद/ साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एवं सत्यापन उपरान्त ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या–3385–2015–292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करता है, तो निर्धारित रायल्टी की धनराशि के अतिरिक्त पांच गुना धनराशि फर्म के देयक से वसूल की जायेगी।
8. निविदा की तकनीकी बिड के साथ दरों के तीन माह की वैद्यता हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र एवं उक्त पर रू0 1.00 का राजस्व स्टैम्प लगाना अनिवार्य होगा।
9. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन के समय रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करने एवं रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा, कि यदि स्टाम्प की अतिरिक्त देयता होगी तो ठेकेदार ही वहन करेगा।
10. निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रचलित आई0एस0 कोड की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार करनी होगी तथा आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम निमावली वर्ष–2009 के विनियम–24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी। पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगी।
12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
13. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य नहीं होगा।
14. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
15. निविदादाता/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10% जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत/शिड्यूल बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक बनवाकर जमा करनी होगी।
16. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप में माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
17. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
18. निविदादाता/फर्म का जी0एस0टी के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
19. ठेकेदार/फर्म के देयक से नियमानुसार, आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये जायेंगे की कटौती की जायेगी। फर्म को नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।
20. अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
22. जमानत धनराशि कार्य समाप्त अथवा सम्बन्धित विभाग को हस्तगन की तिथि, जो बाद में हो से एक वर्ष उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने की तिथि के उपरान्त तीन वर्ष होगी, जिसके लिए कार्य की लागत का एक प्रतिशत जमानत धनराशि तत्पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।
23. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
24. जी0पी0डब्लू0, फार्म–9 एवं अल्पकालीन ई–निविदा सूचना अनुबन्ध का हिस्सा होगा तथा उसमें उल्लिखित नियमों व शर्तों का पालन करना आनिवार्य होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
25. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
26. निविदादाता की निविदा के साथ निर्धारित वैद्य प्रमाण पत्र (टी–4, टी–5, टी–6) की स्कैन की प्रति आनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
27. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।

28. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी0सी0–2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 की दरों से Below दर होने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।

a. 10% तक Below दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।

b. 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।

29. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

30. तकनीकी बिड की चेक लिस्ट के अनुरूप मांगे गये सभी दस्तावेज को अपलोड करने पर ही दरें मान्य होंगी, यदि दस्तावेज सही नहीं पाये जाते हैं, तब निविदा को सील कर दिया जायेगा तथा ऐसे निविदादाता की फाईनेंशियल बिड नहीं खोली जायेगी।

31. निर्माण कार्य में विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता में यदि कोई कमी/प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।

32. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र नियंत्रक अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय के जनपद में अर्थात निर्माण खण्ड–वाराणसी–01 हेतु जनपद–वाराणसी होगा।

33. प्रस्तावित कार्यस्थल पर भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि अन्यत्र भूमि उपलब्ध करायी जाती है, तो कार्य ई–निविदा में दी गयी दरों पर ही करना होगा। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

34. निर्माणाधीन पार्क/कार्यस्थल के आस–पास के भवनों/सीवर लाइन/इलेक्ट्रीक कनेक्शन के टूट–फूट के सम्पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा। इसे सुनिश्चित करने का शपथ पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

35. निर्माण कार्य हेतु तकनीकी बिड के साथ निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने का मासिक माइलस्टोन/मासिक बार चार्ट ठेकेदार को संलग्न करना होगा तथा रू0 100.00 के नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प पेपर पर बारचार्ट के अनुरूप एवं अनुबन्धित अवधि में कार्य पूर्ण करने का शपथ पत्र देना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

36. निविदादाता टेक्निकल बिड का भली–भाँति अध्ययन करते हुए सभी वांछित आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक प्रपत्र संलग्न करें, जिनमें चेकलिस्ट के अतिरिक्त वांछित किसी प्रपत्र की अपूर्णता पाये जाने पर भी निविदा पर भी विचार नहीं किया जायेगा।

37. परिषद द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किये गये सामग्री की ब्राण्ड सूची के अनुसार निर्माण सामग्री कार्य में प्रयोग की जायेगी।

38. निविदादाता द्वारा कार्य में प्रयोग किये जा रहे जल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रयोग किये जा रहे जल का टेस्ट सार्टीफिकेट अनुमोदित संस्था से प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।

39. निविदा की वैद्यता तीन माह होगी।

40. उक्त कार्य हेतु एन0जी0टी0 के नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा निर्धारित स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

41. समस्त निर्माण कार्य अनुबन्ध गठित होने की तिथि से 09 माह के उपलब्ध कराये गये बार चार्ट के अनुसार निर्धारित समय सीमा में पूर्ण न होने पर प्रतिदिन रू0 1000.00 का अर्थदण्ड ठेकेदार द्वारा विभाग के पक्ष में देय होगा।

42. निविदादाता को कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्य हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।

43. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(प्रशान्त वर्धन)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0– 2231 /उन्त/ दिनांक 30-12-25 o/c

प्रतिलिपि : **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
3. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–वाराणसी–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी।
5. सहायक अभियन्ता, वाराणसी वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी।

अधीक्षण अभियन्ता
o/c